ग्राम पंचायत सनवाड़, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सनवाड़, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती जितेश कुमारी	01.04.13 से 22.1.16
2	श्री जगदीश कुमार	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री मोहन सिंह	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत सनवाड़, विकास खण्ड द्रंग के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	8	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.28
2	9	अनुदान का उपयोग न करना	8.15
3	10	प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय	1.45
4	12	निमार्ण कार्य सड़क भरयाड़ू से सेरी में किये गये भुगतान में पाई गई अनियमितताएं	1.50
5	13	मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी के रूप में किया गया अधिक भुगतान	0.24

6	14	मजदूरी के रूप में किए गए भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.39
7	15	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	3.08

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत सनवाड़, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 29.8.2016 से 3.9.2016 तक उक्त ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 04/13, 09/14, 03/16 एवं 02/14, 08/14, 09/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत/अपूर्ण एवं उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत सनवाड़, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 134/2016 दिनांक 03.09.16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सनवाड़ से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) ग्राम पंचायत सनवाड़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 2013–14 से 2015–16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(i) स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति			व्यय		
		स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	योग	स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	अन्तिम शेष
2013–14	152271	25666	562980	740917	68731	733795	(–)61609
2014–15	(–)61609	45575	947097	931063	31507	872970	26586

G.P. Sanwar

2015–16	26586	73144	1782135	1881865	50817	1423163	407885
	दिनांक 31.3.16 को पास बुकों अनुसार अन्तिम शेष						₹428319.52
				हस्तगत राशि			340.98
							428660.50

(परिशिष्ट–1)

(ख) मनरेगाः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	(–)230181.50	4627006	4396824.50	4393987.00	2837.50
2014–15	2837.50	2690148	2692985.50	2692985.50	शून्य
2015–16	शून्य	3751285	3751285.00	3757285.00	शून्य
	दिनांक 31.3.16 को पास बुक अनुसार अन्तिम शेष				₹शून्य

(परिशिष्ट–2)

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत सनवाड़ के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (बिल बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 31.3.16 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तिम शेषों में ₹20775.50 (428660.50–407885.00) का अन्तर था जिसका अब मिलान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान किया जाए।

6 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "3"** में दिये गये विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा जोकि ₹1000 है, से अधिक रखा गया था, जोकि पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 की धारा 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 बजट प्राकलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा

अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राकलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व ₹0.28 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेंख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.16 को पंचायत के राजस्व ₹0.28 लाख की वसूली हेतु शेष थीः–

गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	5100	10075	15175	4975	10200
2014–15	10200	20200	30400	14450	15950
2015–16	15950	20700	36650	9050	27600

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

9 अनुदान ₹8.15 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–4** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹815176/–उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 प्राप्त अनुदान से ₹1.45 लाख का अधिक व्यय करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख व उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक ₹144960/– **"परिशिष्ट–4"** के अनुसार प्राप्त अनुदानो से अधिक व्यय कर दी गई थी, जबकि नियमों के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय सम्बन्धित मद में नहीं किया जा सकता है एवं व्यय को प्राप्त अनुदान राशि तक ही सीमित किया

जाना अपेक्षित था। अतः ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय किस मद से किया गया था बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु मामला सम्बन्धित विभाग से उठाकर अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

11 निर्माण कार्यों के प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/— व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाचउरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में लाखों रूपये का व्यय विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर किया गया है, किन्तु इन कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा इनके प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि यह सभी निर्माण कार्य प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति उपरान्त एवं नियमानुसार प्राकलन तैयार करने उपरान्त किये गये हैं अथवा नहीं? अतः अंकेक्षण अवधि में किये गये सभी निर्माण कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

12 निर्माण कार्य सड़क भरमाणू से सेरी हेतु किये गये भुगतान ₹1.50 लाख में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं के सन्दर्भ मेंः—

ग्राम पंचायत सनवाड़ द्वारा स्वः स्त्रोत एवं विभिन्न अनुदानों की रोकड़ बही में माह 09/2015 में ₹150200/—का भुगतान मै0 ठाकुर कैरियर्ज, मण्डी को निम्नविवरणानुसार किया गया हैः—

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक	बिल क्रमांक	दिनांक	राशि	टिप्पणी
1	63	22.9.15	059	22.9.15	80000	जे0सी0बी0 द्वारा कार्य का भुगतान
2	66	26.9.15	061	22.9.15	70200	
				योग	**150200**	

उक्त भुगतान बिलों की जाँच में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैं, जिनका निराकरण अपेक्षित हैः—

(i) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य को करवाने से पूर्व नियमानुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जैसे निविदा आमन्त्रण पत्र, निविदायें, कार्य आदेश आदि की पूर्णतया अनदेखी की गई है, जिसके अभाव में पंचायत द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक दरो पर न्यूनतम बाजारीय भाव का लाभ नहीं उठाया जा

सका। अतः इस त्रुटि बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये इस व्यय की सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य से सम्बन्धित प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा कार्य प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख भी जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिन्हें आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) पंचायत द्वारा उक्त वर्णित व्यय वाउचरों से भुगतान की गई ₹150200/–द्वारा जे0सी0बी0 से कुल 166.55 घण्टे (88.55+78) कार्य करवाया गया है, किन्तु कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिका एवं कार्य की मात्रा आदि से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः किये गये से सम्बन्धित माप पुस्तिका एवं अन्य अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) वाउचर संख्या 63 दिनांक 22.9.15 द्वारा कुल देय भुगतान ₹79695 बनता है, जबकि फर्म को ₹80000/–का भुगतान किया गया है। अतः अधिक भुगतान की गई ₹305/–की वसूली सम्बन्धित से करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए।

13 मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी के रूप में ₹0.24 लाख का अधिक भुगतानः–

ग्राम पंचायत सनवाड़ के मनरेगा के अन्तर्गत करवाये गये विभिन्न विकास कार्यों के मस्ट्रोलों एवं सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में किये गये कार्य की प्रगति का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में निम्नविवरणानुसार मजदूरी के रूप में ₹24162/–का अधिक भुगतान किया गया हैः–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	वा0सं0	दिनांक	भुगतान की गई मजदूरी	माप पुस्तिका अनुसार कार्य प्रगति	माप पुस्तिका	पृष्ठ
1	निर्माण खेल मैदान प्राथमिक पाठशाला घड़ौणी नारायण	2920 से 2923	16.8.15 से 29.8.15	71	18.9.15	67554	61992	7487	55.56
2	निर्माण खेल मैदान प्राथमिक पाठशाला तराणू	2929 से 2931	16.8.15 से 29.8.15	74	18.9.15	59454	56651	7487	60
3	निर्माण खेल मैदान प्राथमिक पाठशाला मान्द्रा	3516, 3517	1.9.15 से 14.9.15	80	18.9.15	32562	21375	7487	67

4	निर्माण पक्का रास्ता जैजू री बावड़ी से प्राईमरी स्कूल सेरी	3522 से 3526	1.9.15 से 14.9.15	82	18.9.15	83754	83314	6390	45
5	निर्माण खेल मैदान प्राथमिक पाठशाला मान्द्रा	3939 से 3940	16.9.15 से 29.9.15	99	30.9.15	20574	16404	7487	76
					योग	**263898**	**239736**		

उपरोक्त दिये गये विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा मजदूरी के रूप में कुल ₹263898 का भुगतान किया गया है, जबकि कार्य की प्रगति ₹239736/–बनती है एवं इस प्रकार पंचायत द्वारा मजदूरी के रूप में ₹24162 (263898–239736) का अधिक भुगतान किया गया है, क्योंकि नियमानुसार कार्य प्रगति से अधिक मजदूरी देय नहीं थी। अतः कार्य की मात्रा प्रगति (Progress of work done) से अधिक भुगतान की गई ₹24162 के लिए स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

14 मजदूरी के रूप में ₹0.39 लाख के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

स्व स्त्रोत व विविध अनुदानों की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में मजदूरी के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹39439/– का भुगतान किया गया हैः–

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	राशि
1	81	26.2.14	नि0 सराय देव घड़ोनी नारायण	26984	01.1.14 से 31.1.14	24000
2	36	27.8.14	नि0 खेल मैदान पंचायत घर सनवाड़	017324	1.8.14 से 25.8.14	2464
3	59	18.9.15	नि0 सराय गण देवता, खणगर	017336	15.8.15 से 25.8.15	12975
						39439

पंचायत द्वारा उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में मजदूरों द्वारा किये गये कार्य की प्रगति एवं वास्तव में किये गये कार्य हेतु इतनी मजदूरी देय थी अथवा नहीं की जाँच नहीं की जा सकी। अतः इन वाउचरों द्वारा किये गये भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिका आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाए।

G.P. Sanwar

15 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹3.08 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर को क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। ग्राम पंचायत के चयनित मासों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार ₹308012/–के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया है। इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा क्रय सामान की न तो स्कंध प्रविष्टियाँ की गई हैं एवं न ही उनके आगामी निपटारे से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव किया गया था, जिसके अभाव में यह क्रय नियमानुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने एवं उसकी प्राप्ति एवं निर्गम से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ अभिलेख में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर क्रय सामान की प्राप्ति एवं निर्गम प्रविष्टियाँ कर इसे नियमित करवाया जाए।

क्र0सं0	रोकड़ बही का विवरण	फर्म/विक्रेता का विवरण	बिल सं0	दिनांक	वा0सं0	राशि	क्रय वस्तु का विवरण
1	स्व स्त्रोत व विविध अनुदान	टेक चन्द, सनवाड़	–	–	82	8000	रेत बजरी 200 cft
2	–यथोपरि–	चमन लाल, नाडल, कमांद	–	–	83	18000	ईंट 200 नं0
3	–यथोपरि–	रिंकू S/o निरत राम, कटौला	–	–	23	9800	रेत 80 cft, बजरी 60 cft
4	–यथोपरि–	रफी S/o जूमहण, बथेरी	–	–	24	7000	ढुलान रेत, बजरी
5	–यथोपरि–	रिंकू S/o निरत राम, कटौला	–	–	31	5400	रेत 74 cft, बजरी 34 cft
6	–यथोपरि–	टेक चन्द सनवाड़	–	–	32	7560	ढुलान रेत, बजरी
7	–यथोपरि–	बालक राम, सनवाड़	–	–	33	1116	पत्थर 1.39 cmt
8	–यथोपरि–	प्रेम सिंह, गवाहण	–	–	34	14000	रेत 100 cft बजरी 100 cft
9	–यथोपरि–	जय सिंह, सनवाड़	–	–	35	3536	पत्थर 4.42 cft

10	–यथोपरि–	मान सिंह, तराणू	–	–	58	9600	पत्थर 12 cmt
11	मनरेगा	प्रेम सिंह, गवाहण	407	24.8.15	84	32000	रेत 200 cft बजरी 200 cft
12	मनरेगा	जय राम, सनवाड़	–	–	85	32000	ढुलान 400 cft
13	मनरेगा	प्रेम सिंह, गवाहण	409	15.9.15	91	28000	रेत 200 cft बजरी 150 cft
14	मनरेगा	जय राम, सनवाड़	–	–	93	28000	ढुलान 350 cft
15	मनरेगा	प्रेम सिंह, गवाहण	408	26.8.15	86	32000	रेत 200 cft, बजरी 200 cft
16	मनरेगा	जय राम, सनवाड़	–	–	87	32000	ढुलान 400 cft
17	मनरेगा	प्रेम सिंह, गवाहण	410	12.9.15	92	20000	रेत 150 cft बजरी 100 cft
18	मनरेगा	जय राम, सनवाड़	–	–	94	20000	ढुलान 250 cft
					योग	**308012**	

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विविधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1), 27 (1)
2	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
5	गैर सपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
6	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
7	लेखन, सामग्री से भिन्न खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) (ख)
8	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1) (घ)
9	अनुदान रजिस्टर	–	–

G.P. Sanwar

17 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

19 निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में सुधार के अतिरिक्त बकाया राजस्व वसूलियों हेतु विशेष प्रयत्न किये जायें।

हस्ता / –
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(xi)10 / 2017–खण्ड–1 –1172–1175 दिनाँकः21.02.2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत सनवाड़, विकास खण्ड द्रंग, तहसील द्रंग, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड द्रंग, तहसील द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता / –
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.